# TENDOR DOCUMENT

## निविदा दस्तावेज

## वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु फेंसिंग सामग्री का प्रदाय

–: कार्यालय :–

वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक –07683–245315

E-Mail-dfotkmgar@mp.gov.in

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

## खंड II

## निविदाकारों के लिए निर्देश

## (अ) महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

| क्रमांक | जानकारी | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त विवरण | वनमण्डल टीकमगढ़/निवाड़ी अंतर्गत वन परिक्षेत्र टीकमगढ़, बल्देवगढ़, जतारा, निवाड़ी ओरछा एवं अभ्यारण्य ओरछा हेतु फेसिंग सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला टीकमगढ़/निवाड़ी। |
| 2 | ई–निविदा आमंत्रण की सूचना क्रमांक | Tendor/2025-26 |
| 3 | निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत | 1000/– प्रोसेसिंग फीस (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित) |
| 4 | सत्याकार राशि (ईएमडी) | 300000/– (तीन लाख मात्र) ऑनलाईन |
| 5 | निविदा प्रस्ताव वैधता | 30 जून 2026 तक |
| 6 | अनुमानित निविदा मूल्य | 10000000/– |
| 7 | निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय | (पोर्टल पर समय सारणी देखे) |
| 8 | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | (पोर्टल पर समय सारणी देखे) |
| 9 | प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि | (पोर्टल पर समय सारणी देखे) |
| 10 | प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि | (पोर्टल पर समय सारणी देखे) |
| 11 | प्रस्तुतिकरण प्रकार | ऑनलाइन सबमिशन https://mptenders.gov.in/ पर करें। |

1. निविदा प्रस्ताव की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी के बीच आपसी समझौते के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में पेश की गई सामग्रियों की मात्रा अनुमानित है। सफल निविदाकार और वन मण्डलाधिकारी के बीच आपसी समझौते के अधीन बढाई जा सकती है।
3. निविदा में प्रस्तुत सेम्पल तकनीकी परीक्षण हेतु एन ए वी एल प्रयोगशाला में भेजा जाएगा जिसका व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

4. निविदा में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निर्णय वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

5. वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़/निवाड़ी किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नही करता है। इस प्रक्रिया में निविदा लगाने वाले की भागीदारी के परिणाम स्वरूप निविदाकर्ता निविदा लगाने वाले से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालॉकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

**6. प्रति निविदाकार द्वारा एक निविदाः–**

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्रक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार एक से अधिक निविदाये प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार ने द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाऍगीं

7. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी खर्चे वहन करना होगा और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

8. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल तथा उसके आस–पास के क्षेत्र का दौरा करें तथा निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने तथा अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस सबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करने होंगें।

# (ब) निविदा दस्तावेज

## तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त एवं अपलोड किये जाने वाले अभिलेख

**9. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगेः–**

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रूप्ये 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र) जमा की रसीद।
2. अमानत की राशि रूप्ये 300000.00 (तीन लाख रूप्ये मात्र) जमा की रसीद।
3. निविदा में भाग लेने वाली फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षो में किसी मान्यता प्राप्त संस्था को निविदा में दर्शित सामग्री पोल्स/ बारबेड वायर का प्रदाय संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
4. पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में प्रति वर्ष औसतन 1 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर होना अनिवार्य है।
5. पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. फर्म के पिछले तीन एसेसमेंट वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) कर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर रिटर्न जमा का प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
7. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड/दिवालिया नही होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूप्ये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें।(अनुलग्नक–1)
8. निविदा के साथ निम्नाकिंत दस्तावेजो की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित/व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करेंः–
   8.1 जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
   8.2 आयकर कार्ड (पेनकार्ड)।
   8.3 दुकाने और प्रतिष्ठान पंजीकारण।
9. अनुलग्नक–2
10. निविदाकार वनमण्डल सामान्य वन मण्डल टीकमगढ़/निवाड़ी अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करे और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में अनुलग्नक–3 निविदाकार द्वारा भरा जाकर निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।
11. 'एमएसई प्रमाणपत्र' यदि ईएमडी छूट मांगी गई हो।
12. स्टार्ट इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव (अनुलग्नक 4– खंड (i)और (i i) से छूट का दावा किया जाता है।
13. निविदा  के साथ 100 रू0 मूल्य का शपथ पत्र नोटरी कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसमे निविदा में दी गई समस्त जानकारी सही दी गई है। आरे निविदा मे गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निविदाकार पूर्णरूप में जिम्मेदार होगा।
14. निविदा में प्रस्तावित सामग्री हेतु अधिकृत विक्रेता अथवा सामग्री विक्रय का सब–डीलर टेकिग सबंधी अभिलेख प्रेषित करना होगा। अन्डर टेंकिंग प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंध फर्म का प्रदाय किये जाने वाली सामग्री का विक्रय संबंधी अभिलेख (डीलरशिप/उत्पादक) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
15. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट एनएवीएल की अनुबंधित संस्थाओं में किसी एक से कराया जाकर टेस्ट रिपोर्ट संलग्न किया जावे।

यदि निविदा की शर्तो एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना बेवसाईट https://mptenders.gov.in/ एवं वन विभाग की वेवसाइट www.mpforest.gov.in पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नही की जावेगी।

10. **निविदाकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों ओर शर्तो की सावधानी पूर्वक जांच करेंगा। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।**

| उक्त समस्त अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों को स्व–प्रमाणित किया जावे। |
|---|

**11. निविदा–पूर्व बैठक–**

**9.1** ई–निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का विवरण दिया गया है। प्री–पैड मीटिंग के शेड्यूल में कोई भी बदलाव केवल बेबसाइट पर ही सूचित किया जाएगा और निविदाकारओं को अलग से सूचना नही दी जाएगी।

9.2 कोई भ संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रू॰ में अपने प्रश्न उठा सकता है और/या स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दो को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब दिया जावेगी। निविदाकार अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता हे। जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा–पूर्व बैठक के कार्य विवरण, जिनमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार कियए गए उत्तर सामिल होगे वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जायेगें।

9.4 निविदा–पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज मे संशोधन करना आवश्यकत समझता है तो यह ऑनलाइन एनआईटी में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

**12. सत्यांकार निधि (ईएमडी)**

10.1 ईएमडी राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित'–2022) की कंडिका 14 के अनुसार सामग्री की अनुमानित मात्रा एवं दर के अनुसार की गई है।

10.2 सत्यांकार निधि (ईएमडी), निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत और प्रसंस्करण शुल्क ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाईन जमा पर विचार नही किया जाएंगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफलतापूर्वक ईएमडी जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल अनिवार्य की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारओं की ईएमडी यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी (उपर्यूक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

**10.5 ईएमडी जब्त की जा सकती है:**

10.5.1 यदि निविदाकार निविदा वैधता अवधि या उसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या अपनी उद्धूत कीमतों में वृद्धि करता हैं,

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा मूल्यांकन और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया खतरे में पड़ जाए या अनावश्यक रूप से विलंबित हो जाए।

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़/निवाड़ी द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है:

अथवा

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/छेड़छाड़ की गई/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 ईएमडी जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबधं में वनमण्डलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिसिति में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

13. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन–कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना से संबंधित सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें, इसके बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।
14. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने, बोलियॉ ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते है।
15. पूर्व योग्यता मानदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व–योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी की खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
16. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।
17. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिएं।
18. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन तथा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए मात्रा बिल (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी होगी।
19. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन अनलोडिंग और स्टैकिंग में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डल टीकमगढ़/निवाड़ी की संपूर्ण भौगोलिक सीमा तक परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रूपये में होगा।
20. सभी संभावित निविदाकारों को वन मण्डल टीकमगढ़/निवाड़ी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करना होगा और कार्य स्थितियों से परिचित होना होगा। इस सबंध में निविदाकार को एक प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक 3)** भरना होगा। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
21. अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार निविदाकार को निविदा दस्तावेजों के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर एक स्व–घोषण –'नो ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना होगा।

## (स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

**22.** निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे वाले विचरों किए जाने के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**23.** निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) नियुक्त करेगा। टी.ई.सी बोलियों की जांच करके यह निर्धारित करेगा कि पूर्ण, उत्तरदायी हैं या नही और निविदा प्रारूप आर.एफ.पी. आवश्यकताओं के अनुरूप है या नही। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर–अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नही करता है। (गैर–भौतिक विचलन छोटी–मोटी त्रृटियों या चूक को संदर्भित करता है। जो निविदा की मूल आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करता हैं, जैसे कि छोटी–मोटी लिपिकीय त्रृटियो या प्रारूप संबंध)

**24.** निविदाकर्ता द्वारा केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाकताओं की वित्तीय निविदा को खोला जावेगा।

**25.** यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

**26.** यदि दो या अधिक निविदादाताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते है, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जावेगा।

**27.** किसी भी सशर्त निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**28.** अंकगणितीय त्रृटियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगाः यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य को मान्य किया जाएगा और कूल मल्य को सही किया जाएगा यदि शब्दों और आंकड़ो के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी''।

**29.** निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने, तथा निविदा प्रक्रिया को रद करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिससे प्रभावित निविदादाता या निविदादाताओं के प्रति कोई दायित्व उत्पत्र नही होगा या प्रभावित निविदादाता या निविदादाताओं को निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में सूचित करने को कोई दायित्व नहीं होगा।

**30.** निविदाकर का प्रस्ताव अस्वीकार्य किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज नियम व शर्तो तथा शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गये किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेजो को अपलोड नहीं करते है।

## (द) अनुबंध का पुरूस्कार

31. निविदा सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग–अलग फर्मो से है, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मो को जारी किए जाएंगे जिनके पास उक्त वस्तुआं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

32. निविदाकर्ता सफल निविदाकार को स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। सफल निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

33. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जिस निविदाकार को एलओए जारी किया गया है, उसे इस परियोजना के लिए सुरक्षा जमा के रूप में, महत्वपूर्ण तिथियों,/सूचना'' पृष्ठ के क्रमांक–6 में निर्दिष्ट राशि निविदाकर्ता को जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा राशि को अनुसुचित बैंक (सहकारी बैंको को छोड़कर ) से सवधि जमा रसीद (एफडीआर) बैक गारंटी के रूप में ''**वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़/निवाड़ी''** जमा करनी होगी। सवधि जमा रसीद एफडीआर या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है तो नई निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर राशि वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किए गया है हालांकि विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधि– 2022 के अनुरूप की जावेगी।)

34. इस अनुबंध के उल्लंधन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए पक्ष स्पष्ट रू‌‌ से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है जैसे िकवह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निषपान सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में निम्नलिखित नीचे दी गई शर्ते शामिल है लेकिन इनही तक सीमित नहीं है:

1. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है। या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नही करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
2. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अनुबंध के दौरान किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
3. यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकतओं के प्रति उतरदायी हैं
4. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नही करता है।

**35. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर**

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृत पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते को प्रारू‍ **अनुलग्रक 7** में दिया गया है।

32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शूरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शूरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नही किया जाएगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा (यदि कोई हो) जमा करने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के विरूद्ध कार्रवाई करने के निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

36. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनो का लिखित नोटिस देकर अनुबंध के उल्लंघन के लिए समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रू‍ से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाला जा सकता है।

37. यह अनुबंध भारत में प्रचलित ओर लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओ द्वारा शासित होगा, जो ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर होगा। सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

## (ई) अन्य नियम और शर्ते

**38.** प्रदाय की जाने वाली सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुरूप में होने चाहिए तथा संबंधित चिह्न सामान्यतः जहां अपेक्षित हो, वितरित उत्पाद पर प्रतिबिंबित होना चाहिए।

**39.** निविदाकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना याच्छिक रूप से चुन सकता है और प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा। और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है तो कोई भुगतान नही किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा राश जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डाला जा सकता है।

**40.** यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गऐ दस्तावेजो में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों है तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार्य किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण में निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है। जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि/निष्पादन प्रतिभूति की राशि जब्त की जा सकती है।

**41.** यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नही की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्त्रोतों से साम्रगी का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त जमा राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा राशि से कम है तो उसमें से समयोजित की जाएगी, यदि जमा राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा राशि से अधिक है तो उक्त निधियां जब्त की जावेगी।

**42.** प्रत्येक सामग्री के लिए सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर एल–1 के आधार पर किया जावेगा। निविदा में सम्मलित सफल अन्य निविदाकार जिनकी दरें L1+15% की सीमा के अंदर प्रेषित की गई है, ऐसे निविदाकार यदि सामग्री प्रदाय करने के इच्छुक है तो एल–1 दर पर सामग्री प्रदाय करने हेतु कार्यालय मे सूचिबद्ध करने हेतु आवेदन कर सकते है। क्रय समिति के विचार उपरांत सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप को निम्न प्राथमिता से सामग्री प्रदाय का आदेश प्रदाय किया जावेगा –

| क्रमांक | विवरण | सामग्री क्रय की मात्रा का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | एल–1 के अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से कुल क्रय | 25 |
| | (अ) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से क्रय | 04 |
| | (ब) महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से क्रय | 03 |
| | (स) अन्य सुक्ष्म और लघु उद्यम एवं स्टार्टअप से क्रय | 18 |
| 2 | एल–1 से क्रय | 75 |
| | **कुल क्रय–** | **100** |

43. निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ तरू भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

44. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेंश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके सबंध में निर्णय लेने की शक्ति प्रभागीय वन अधिकारी के पास होगी।

45. प्रदाय की जाने वाली बारबेड वायर भारतीय मानक IS 278;2009 के अनुसार एवं आर.सी.सी./पी. आर.सी.सी.पोल्स भारतीय मानक IS 4996:1984 के अनुसार होना चाहिए।

46. सामग्री का आदेश प्राप्ति के पश्चात प्रदाय की जाने वाली फेंसिंग सामग्री की प्री–डिलेवरी तथा सामग्री प्रदाय के पश्चात् वृक्षारोपण स्थल पर पोस्ट इिलवरी निरीक्षण रिपोर्ट अनुबंधित संस्थाओं से किसी एक से कराया जाकर टेस्ट रिपोर्ट देयक के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त निरीक्षण एवं टेस्ट रिपोर्ट में आने वाले व्यय का उत्तरदायित्व संबंधी निविदाकार का होगा।

47. सामग्री का सत्यापरः– प्रदायित्व सामग्री के सत्यापन हेतु वनमण्डल द्वार समिति गठित की जावेगी। गठित समिति द्वारा प्रदायित्व सामग्री के परीक्षण/सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रदायित्व सामग्री की गुणवत्ता आदि के संबंध मे चाहे गये अभिलेख निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित स्थलों पर प्रत्येक ट्रिप में प्रदायित्व सामग्री से रेण्डमली सेम्पल लिए जाकर NABL/MPLUN की लैब से टेस्टिंग कराई जावेगी। गठित समिति के सत्यापन प्रतिवेदन एवं प्राप्त टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

48. सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेषन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। गठित समिति के सत्यापन प्रतिवेदन एवं प्राप्त टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगीं सत्यापन रिपोर्ट/टेस्टिंग रिपोर्ट में गुणवत्ता विहीन या स्पेसिफिकेशन अनुसर सामग्री नहीं पाये जाने पर सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा। ऐंी स्थिति में सामग्री को काग्र स्थल से निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा। साथ ही इसके बदले में स्वयं के व्यय पर आदेशित मात्रा में निर्धारित स्पेसिफिकेसन की सामग्री प्रदाय करना होगा।

49. प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सामग्री के बिल के साथ चालान दो प्रतियों में प्रेषित किया जावेगा। चालान में वाहन क्रमांक, वाहन का साईज, भेजी जाने वाली सामग्री का विवरण का विस्तृत एवं स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

**अनुलग्नक –1**

**प्रारूपः स्व–घोषणा– ब्लैकलिस्टिंग नही होने का प्रमाण पत्र**

**रु 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है (नोटरी सहित)**

सेवा में, दिनांक ...................

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल टीकमगढ़/निवाड़ी (म.प्र.)

महोदय,

दिनांक................ को निविदा क्रमांक................................................ दिनांक .............के प्रस्तुत्तर में...................................................................के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म ............................................................का रिकार्ड बेदाग है, और इसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट धोखाधड़ीपूर्ण कार्यो के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म............................................निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नही डाली गई है और न ही अयोग्य घाषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेंरी/हमारी प्रतिभूति राशि पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, निविदा यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नामः–

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताः–

संगठन की मुहरः–

दिनांक.................................

स्थान...................................

## अनुलग्नक –2

## प्रारूपः निविदा लगाने वो व्यक्ति / फर्म का विवरण

1. निविदाकार / फर्म का नामः ........................................................................................................................

2. पिता का नाम ........................................................................................................................

3. स्थायी पता ........................................................................................................................
........................................................................................................................

गली क्रमांक / स्थान ........................................................................................................................

जिला...................................................... पिन कोड......................................................

4. फर्म कार्यालय का पता ........................................................................................................................
........................................................................................................................

गली क्रमांक / स्थान ........................................................................................................................

जिला...................................................... पिन कोड......................................................

5. सत्यांकार राशि (ईएमडी) का विवरण प्रकारः– एफडीआर / बैंक गारंटी
........................................................................................................................

बैंक का नाम ........................................................................................................................

एफडीआर / बैंक गारंटी

क्रमांक / दिनांक ........................................................................................................................

6. जीएसटी नंबर ........................................................................................................................

**निविदाकार के हस्ताक्षर**

# <u>घोषणा</u>

मैं............................................. पिता/पति................................पता......................... ..................................घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, उसके लिए मैं पूरी तरह स्वयं जिम्मेदार रहूॅगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्कयताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

**निविदाकार के हस्ताक्षर**

## अनुलग्नक –3

## प्रारूपः सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मै/हम ............................................जनता हूॅ/जानते है कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वन मण्डल टीकमगढ़ के सूपर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम........................................................ वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के सबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हमने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने के पहले कार्य स्थल से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा कार्य की सभी स्थितियों को समझते हैं।

**निविदाकार के हस्ताक्षर**

**एवं मुद्रा**

| | |
|---|---|
| **उप वनमण्डलाधिकारी**<br>**टीकमगढ़** | **उप वनमण्डलाधिकारी**<br>**निवाड़ी** |
| **वनपरिक्षेत्राधिकारी**<br>**टीकमगढ़** | **वनपरिक्षेत्राधिकारी**<br>**जतारा** |
| **वनपरिक्षेत्राधिकारी**<br>**बल्देवगढ़** | **वनपरिक्षेत्राधिकरी**<br>**ओरछा** |
| **वनपरिक्षेत्राधिकारी**<br>**निवाड़ी** | **गेंमरेंज अभ्यारण्य**<br>**ओरछा** |

# अनुलग्नक –4

## पूर्व–योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास निम्नलिखित अनिवार्यता होना चाहिए (तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य):

1. किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में **सफलतापूर्वक सामग्री प्रदाय/कार्य निष्पादन का अनुभवः**

   क. पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरा तीन समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई हे, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20प्रतिशत के बराबर से कम नहीं हैं, जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है',

   ख. दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षो के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं हैं, जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा लगाई गई हैं,

   या

   ग. एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, उन सामग्रियों की संभावित राशि के 50 प्रतिाशत के बराबर राशि से कम नहीं जिनके लिए निविदा दी गई है।

   घ. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, मध्य प्रदेश में समान मदों में कार्य निष्पादित किया गया हो जो कि निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों के कार्य निष्पादित किया गया हो, जो कि निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि के कम नही होना चाहिए है।

2. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकारओं का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा की सामग्री की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।**

   संयुक्त उद्यम के पिछले में, कम टर्नओवर वाली फर्म के टर्नओवर को उपर्युक्त खंड 2 के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख3 साल से कम पुरानी है तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत टर्नओवर को इस मानदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

# अनुलग्नक –5
## स्वीकृत पत्र

**क्रमांक / 2024–25 / ......** **दिनांक.........................**

**प्रति,**

**मेसर्स.........................................**

**(निविदाकार का नाम और पता)**

**बिषयः–** **..................................................................................**

**——0——**

प्रिय श्री,

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी निविदा को मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई सामग्रीवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्रंमाक | सामग्री का नाम विवरण | खरीदी जाने वाली मात्रा | स्वीकृत दर रूपये में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंः–

क. रू............................................... (ऑकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा / निष्पादन गारंटी राशि (शब्दों में रू........................................................ केवल)। निष्पादन सुरक्षा राशि किसी भी राष्ट्रीकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा / बैंक गांरटी की रसीद के रूप में निविदा में उपरोक्तानुसार तालिका में उल्लेखित सामग्री की आपूर्ति हेतु किये गये अनुबंध अवधि के तीन महीने तक वैध हो को वनमण्डल में प्रेषित करें।

ख. अनुलग्नक 7 के अनुसार रू 500 / – के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र की मूल प्रति वनमण्डल में प्रेषित करें।

**भवदीय**

# अनुलग्नक–6

## संयुक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्ते और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिएः–

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मो के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएं हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगाः
   क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित, किया जाएगा, और इस प्राधिकारण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तयारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।
   ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेगें ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।
   ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा।
   घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तो के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होगें, और इस आशय का एक कथन उक्त लिखित क्रमांक ''ग'' के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। साथ ही सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित अनुबध पत्र में भी शामिल किया जावेगा।
   ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों को निष्पादन में सक्रिय भागीदार होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।
   च. संयुक्त उद्यम समझौता पंजीकृत होना चाहिए, ताकि वह कानूनी रूप से बैध हो तथा सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो।
   छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदण्डों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदारों के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगें। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मापादण्डों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने के विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा प्रमुख भागीदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करनी होगी।
5. संयुक्त उद्यम सभी भागीदारों के बीच हुए समझोते को सलंग्न करें (और जो सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों मे निर्दिष्ट आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दर्शाये गये अनुसार प्रस्तुत करें–

| क्रमांक | भागीदारी विवरण | फर्म ''ए'' (प्रमुख भागीदारी) | फर्म ''बी'' | फर्म ''सी'' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# <u>अनुलग्नक –7</u>

## <u>अनुबंध प्रपत्र</u>

## (रूपये 500 के स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध, दिनांक ................................को वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ/निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) जिसे आगे ''निविदाकर्ता'' कहा गया है, और मेसर्स............................................. ...................(निविदाकार का नाम व पता) जिसे आगे ''निविदाकार'' कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

निविदाकर्ता द्वारा जारी निविदा क्रमांक ............................................................में सफल निविदाकार के रूप में चयनित हुआ हुॅ। निविदाकर्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु जारी निर्देशों के अनुसार मेरे द्वारा निविदा में दी गई दर पर सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु अनुबंध करता/करती हूॅ।

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगें जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया ळ। और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदा में उल्लेखित सभी शर्तो का पूर्ण पालन मेरे द्वारा किया जावेगा।
3. निविदा में सामग्री के दिये गये सेम्पल के अनुसार ही आदेशित सामग्री का प्रदाय किया जावेगा। सेम्पल के विपरीत की सामग्री मेरे द्वारा प्रदाय नही की जावेगी। ऐसा होने मेरे विरूद्ध पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु में सहमत हूॅ।
4. मेरे द्वारा निविदा के उल्लेखित प्रदाय की जाने वाली सामग्री ............................................. ..........(सामग्री का नाम) निर्धारित स्पेसिफिकेशन का नहीं होने पर, यदि मेरा भुगतान रोका जाता है तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
5. सामग्री का प्रदाय आदेश प्राप्ति के 25 (25+10) दिवस के अंदर निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर निर्धारित स्थल तक पहुचांकर किया जावेगा। यदि मैं उक्त सामग्री प्रदाय करने में असमर्थ रहा तो मेरे द्वारा जमा जमानत राशि विभाग द्वारा जप्त की जा सकती है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. सामग्री का प्रदाय निविदा में उल्लेखित परिक्षेत्रों के आदेशित स्थलों तक भेतकर किया जावेगा।
7. विभागीय प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रदायित्व सामग्री के मानकीकरण एवं सत्यापन से मुझे कोई आपत्ति नही होगी।
8. सामग्री का नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये सत्यापन के आधार पर किये गये भुगतान से मुझे कोई आपत्ति नही होगी।